(

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना सं0- 5166430 पटना, दिनांक 06/02/26

ग्रा0वि0-R/1/2022-SECTION-14-RDD (COM NO-174600)

श्री अमरेश कुमार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-724 दिनांक-03.05.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री मिश्रा से लिखित बचाव अभिकथन प्राप्त किया गया।

जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं श्री मिश्रा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1004952 दिनांक-16.06.2022 द्वारा निलंबित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुनः विभागीय संकल्प संख्या-1407720 दिनांक-01.12.2022 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उक्त जांच प्रतिवेदन पर श्री मिश्रा द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-4675101 दिनांक-06.10.2025 द्वारा इनके विरूद्ध 'चेतावनी' (चारित्र पुस्त में प्रविष्टि के साथ) अधिरोपित/संसूचित किया गया है।

उक्त अधिरोपित चेतावनी के विरूद्ध श्री अमरेश कुमार मिश्रा द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-16.10.2025 को विभाग में समर्पित किया गया। श्री मिश्रा द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मिश्रा के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में पूर्व के निर्णय को परिवर्तित किया जाय।

अतः समीक्षोपरांत श्री अमरेश कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

6.2.26

(मन्जु प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव

का०परि० बही

ज्ञापांक:- 5166430 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 06/02/26

ग्रा0वि0- R/1/2022-SECTION-14-RDD (COM NO-174600)

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में सी0डी0 सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

6.2.26

सरकार के अपर सचिव

D:\Section-014\Year-2025-26\Office Order-2025-26\Notification(2026)-04 Snchekast.doc-

ज्ञापांक:- 5166430 /ग्रा0वि0 पटना, दिनांक :- 06/02/26

ग्रा0वि0- R/1/2022-SECTION-14-RDD (COM NO-174600)

स्पीड पोस्ट/ ई-मेल

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, नवादा एवं सुपौल/उप विकास आयुक्त, नवादा एवं सुपौल /जिला कोषागार पदाधिकारी, नवादा एवं सुपौल/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु)/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03/श्री अमरेश कुमार मिश्रा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6.2.26

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:- 5166430 / पटना, दिनांक :- 06/02/26

ग्रा0वि0- R/1/2022-SECTION-14-RDD (COM NO-174600)

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6.2.26

सरकार के अपर सचिव

D:\Section-014\Year-2025-26\Office Order-2025-26\Notification(2026)-04 Snchekast.doc-